(वाद सं०-6938/4/10/2021)

12.07.2023

प्रसंगाधीन मामला परिवादी की माता, सुषमा प्रसाद, की Heritage Hospital, Donar, दरभंगा में उसकी माता की चिकित्सा कर रहे डॉ० नीरज प्रसाद के गलत चिकित्सा किये जाने से हुई मृत्यु की जांच से संबंधित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, दरभंगा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा** द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी के पिता, मायाशंकर प्रसाद, द्वारा Heritage Hospital, Donar, दरभंगा के डॉ० नीरज प्रसाद, के विरूद्ध गलत ईलाज से उनकी पत्नी की मृत्यु तथा मृतक के परिजनों के साथ अस्पताल कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के संबंध में दिये गये आवेदन में लगाये गये आरोपों की जांच सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा तथा अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष जांच पदाधिकारी, दरभंगा के नेतृत्व में त्रिसदस्यीय जांच दल द्वारा किया गया। उक्त जांच समिति के द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि श्री मायाशंकर प्रसाद, द्वारा डॉ० नीरज प्रसाद, पर लगाया गया आरोप सत्य नहीं है और जिस समय उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, वह Period Highly Covid Infection Period का समय था एवं उनकी पत्नी Post Covid Complex के दौरान भर्ती हुई थी, जिसके आधार पर डॉ० नीरज प्रसाद एवं उनकी टीम द्वारा बचाया नहीं जा सका। जांच दल द्वारा यह भी मंतव्य दिया गया है कि परिवादी की माता, (मायाशंकर प्रसाद की पत्नी) की मृत्यु में डॉ० नीरज प्रसाद, एवं अस्पताल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा के प्रतिवेदन, त्रिसदस्यीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन का बिन्दुवार प्रतिवाद किया है। परिवादी का कथन है कि 22 जून 2021 को वह अपनी माता, स्व0 सुषमा प्रसाद, को मात्र डायलिसिस कराने हेतु Heritage Hospital, Donar, दरभंगा में Admit किया था तथा डॉ0 नीरज प्रसाद, द्वारा हृदयाघात से संबंधित दवा Dobucine को देने व उसकी माता का गलत चिकित्सा करने के कारण उक्त अस्पताल में ईलाज के दौरान दिनांक–22.06.2022 को उसकी मृत्यु हो गई। परिवादी का यह भी कथन है कि उसकी माता कभी भी कोरोना से पीड़ित नहीं हुई है तथा दिनांक–01.06.2021 को Heritage Hospital, Donar, दरभंगा द्वारा उसकी माता का कोरोना से संबंधित RTPCR Test भी कराया गया, जिसका रिपोर्ट निगेटिव आया।

उपरोक्त पर राज्य आयोग द्वारा प्रसंगाधीन मामले को चिकित्सा से सम्बन्धित विवाद पाकर, **निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना** से परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में चिकित्सा विशेषज्ञों से प्रतिवेदन की माँग की गई।

निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना का प्रतिवेदन संचिका के (पृष्ठ 109–105/प0) पर रक्षित है। अपने प्रतिवेदन में उनके द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि :–

1. Patient died due to critical involvement of multiple organ systems.
2. No any element of medical negligence could be found from the available documents.

उपरोक्त मंतव्य **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना** के 09 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के चिकित्सकों के 09 सदस्यीय जाँच टीम के जाँच प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में जिन आधारो पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के जाँच प्रतिवेदन का प्रतिवाद किया गया है, उस आधारो पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के चिकित्सकों द्वारा विचार कर उपरोक्त निष्कर्ष दिया गया है।

अतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार हनन का मामला नहीं पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के जाँच प्रतिवेदन (पृष्ठ 109–105/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचनार्थ भेज दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक